पत्रांक–16 / PMU–10–02 / 2017 का0 3753 /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव /
विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त / उपायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 04/07/23

विषय :– मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश को HRMS के माध्यम से ऑनलाईन क्रियान्वित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) अंतर्गत वर्तमान में ऑनलाईन अवकाश प्रबंधन प्रणाली के तहत छः प्रकार के अवकाश प्रक्रिया को ऑनलाईन निष्पादित किये जाने का प्रावधान है। इस क्रम में HRMS के अंतर्गत कार्यरत मॉड्यूल 'अवकाश प्रबंधन प्रणाली' मे मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश को ऑनलाईन क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

HRMS के अंतर्गत ऑनलाईन अवकाश प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करते हुए झारखण्ड राज्य के सभी कर्मियों के द्वारा मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश का आवेदन ऑनलाईन समर्पित किया जायेगा। इसका अग्रसारण एवं अवकाश की स्वीकृति / अस्वीकृति का कार्य भी ऑनलाईन किया जायेगा एवं अवकाश स्वीकृति की स्थिति में स्वीकृत्यादेश भी ऑनलाईन ही निर्गत होगा।

सभी कर्मियों / स्थापना पदाधिकारियों की सहायता के लिए Help फाईल HRMS के वेबसाईट 'hrms.jharkhand.gov.in' के 'FAQ and Help Videos' लिंक में उपलब्ध है। इसके सहयोग से सभी ऑनलाईन कार्य निष्पादित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अपने विभाग के HRMS के नोडल पदाधिकारी अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत संचालित परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) से टोलफ्री संख्या–18003456568, दूरभाष संख्या–0651–2400865, झारनेट आईपी फोन संख्या–11476 तथा ईमेल– hrms.dopar@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

04/7/2023

(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव।